न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़
पीठासीन अधिकारी:– चन्द्रशेखर भण्डारी, RAS

प्रकरण सं0 13/2019 प्रार्थना पत्र

1. श्री रामीबाई वेवा रामदास जाति बैरागी निवासी– सेमलिया तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0

– प्रार्थीगण

//बनाम//

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा।

– विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा0ले0रे0 एक्ट

प्रार्थीगण की और से:– अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश धाकड़ उपस्थित

आदेश

दिनांक:– 31-5-2022

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा0 ले0रे0एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी रामबीबाई बेवा रामदास बैरागी निवसी सेमलिया ने बिन्दु संख्या 1 की खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा सेमलिया त0 निम्बाहेड़ा के साबिक आराजी खाता खा 128 संवत 2059 की आ0न0 405 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, आ0न0 406 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा एंव खाता संख्या 129 की आ0प0 173 रकबा 0.12 बीघा, आ0न0 191/99 रकबा 0.03 बिस्वा आ0न0 550/379 रबका 0.007 बिस्वा और खाता संख्या 130 की आ0न0 490/452 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा एंव खाता संख्या 130.1 की आ0न 6 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, आ0न0 418 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा स्थित हैं साक्ष्य में नकल जमा बंदी पेश हैं तथा नकल जमाबंदी संवत् 2067–70 की खाता संख्या 144 की आ0न0 677 रकबा 0.4000 हे0, आ0न0 703 रकवा 0.5400 हे0 व खाता संख्या 145 की आ0न0 394 रकबा 0.1500 हे0 आ0न0 623 रकवा 0.0400 हे0 आ0न0 724 रकबा 0.900 हे0 व खाता स0 146 की आर0न0 30 रकबा 0.5400 हे0 व खाता संख्या 147 की आ0न0 132 रकबा 0.4200 हे0 आ0न0 706 रकबा 0.2300 हे0 आ0न0 709 रकबा 0.2800 हे0 व खाता संख्या 148 की

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)

आ0न0 797 रकबा 0.2900 हे0 आ0न0 798 रकबा 0.3200 हे0 स्थित हैं । प्रार्थी आराजीयात के खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है तथा प्रार्थीगण वही मौके पर काबिज हो काश्ती करती चले परन्तु राजस्व रिकार्ड संधारण करने वाले कर्मचारियो की गलती से सेटलमेंट के समय राजस्व रिकार्ड में जमाबंदी संवत 2059 में खाता न0 128, 128, 130, 130.1 में इंतकाल नं 525 से नर्बदा बाई वेवा गोर्वधन दास जी बैरागी निवासी सेमलिया द्वारा अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा प्रार्थीगण कमलदास पिता रामदास और रामीबाई बेवा रामदास बैरागी निवासी सेमलिया के पक्ष में निष्पादित करा दिया गया किन्तु नकल जमाबंदी संवत् 2067–70 की खाता संख्या 144, 145, 146, 147, 148 में रिलीजकर्ता नर्बदाबाई बेवा गोवर्धनदास बैरागी का नाम पुनः राजस्वकर्मी की भूल की वजह से ईन्द्राज हो गया हैं । नकल जमाबंदी सेटलमेंट से पूर्व व पश्चात दोनो पेश हैं तथा साथ में नकल जमाबंदी व मिलान क्षैत्रफल सभी असल पेश हैं।अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर जमाबन्दी में सेटलमेन्ट के वक्त हुई गलती को सुधारा जाकर जमाबन्दी में इन्द्राज दुरूस्तीकरण किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रार्थी के हवाले से प्रार्थी जगमोहन पिता बगदीराम निवासी कनेरा द्वारा किये गये प्रार्थना पत्र आर.टी.ए. की मौका निरीक्षण कर मौका रिपोर्ट तैयार की गई । मौके पर पाया गया कि खातेदार की पुराने आराजी नम्बर 490/452 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा नवीन आराजी न. 797, 798 रकवा 0.29, 0.32 हे, पुराने आराजी नम्बर 173 रकवा 12 बिस्वा नवीन आराजी न. 394 रकवा 0.15 हे0, पुराने आराजी नम्बर 491/99 3 बिस्वा नवीन आराजी न. 623 रकबा 0.004 हे0,पुराने आराजी नम्बर 550/379 रकबा 7 बिस्वा नवीन आराजी न. 30 रकवा 0.54 हे0, पुराने आराजी नम्बर 66 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा नवीन आराजी न. 132, रकवा 0.42 हे0, पुराने आराजी नम्बर 407 रकवा 18 बिस्वा नवीन आराजी न. 706 रकवा 0.23 हे0, पुराने आराजी नम्बर 405 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा नवीन आराजी न. 709 रकवा 0.28 हे0, पुराने आराजी नम्बर 405 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा नवीन आराजी न. 703 रकबा 0.54 हे0, पुराने आराजी नम्बर 406 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा नवीन आराजी न. 677 रकबा 0.40 हे0, पुराने आराजी नम्बर 415

उपखण्ड अधिकारी

रकबा 10 बिस्वा नवीन आराजी न. 716 रकबा 0.13 हे0, उपरोक्त ग्राम सेमलिया के पुराने आराजी न0 में रजिस्टर्ड हकत्याग से रिलिज कर्ता द्वारा अपना हिस्सा यानि श्रीमती नर्बदाबाई पत्नि स्व. गोर्वद्यन बैरागी, देवीलाल पिता गोर्वधनदास बैरागी द्वारा अलग हिस्सा रामीबाई पत्नि स्व रामदास एंव कमलदास पिता रामदास बैरागी के पक्ष में किया था, जिसका अमल भी जमाबंदी में हुआ था परन्तु सेंटलमेंट के दौरान आधार वर्ष की जमाबंदी 2067—2070 में उक्त हकत्याग नामा 525 का अमल नही हुआ । वर्तमान जमाबंदी में पुराने आराजी न0 के जो नये आराजी न. दर्ज हुआ हैं उसके रिलिज कर्ता श्रीमती नर्बदाबाई पत्नि स्व गोर्वधनदास एंव देवीलाल पिता गोर्वधनदास बैरागी के बजाय श्री कमलकांत पिता रामदास एंव रामीबाई पत्नि स्वं रामदास का नाम दर्ज किया जाना उचित होगा । अतः रिकार्ड श्रीमान् की सेवा में प्रस्तुत कर उचित कार्यवाही आदेशार्थ पेश हैं ।

हमने बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया। प्रार्थी ने सभी प्रभावित खातेदारों को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है । बिना सभी प्रभावित पक्षों को सुने निर्णय दिया जाना प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तो के विपरित होगा । प्रार्थीगण अपने पक्ष को साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र साबित नहीं होने से खारीज किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 31 .05.2022 को सरे इजलास सुनाया जाकर कम्प्युटराईज कराया गया।

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)